रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-06072021-228136 CG-DL-E-06072021-228136

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 279] No. 279] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 6, 2021/आषाढ़ 15, 1943 NEW DELHI, TUESDAY, JULY 6, 2021/ASHADHA 15, 1943

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 5 जुलाई, 2021

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बुलियन एक्सचेंज) (संशोधन) विनियम, 2021

आई.एफ.एस.सी.ए./2021-22/जी.एन./रेग्यु.014.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 12 की उपधारा (1) और धारा 13 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 28 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बुलियन एक्सचेंज) विनियम, 2020 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- 1. इन विनियमों का संक्षिप्त नाम अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बुलियन एक्सचेंज) (संशोधन) विनियम, 2021 है।
- 2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 3. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बुलियन एक्सचेंज) विनियम, 2020 में,
 - विनियम 4 के उप-विनियम (2) में, "ऐसा कोई निगमित निकाय" शब्दों के स्थान पर "ऐसा कोई निगमित" शब्द रखे जाएंगे;
 - II. विनियम 6 के उप-विनियम (7) में, "विनियम 3" शब्द और अंक के स्थान पर "विनियम 4" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

3738 GI/2021 (1)

- III. विनियम 20 में.
 - (i) उप-विनियम (2) के खंड (iii) में, "स्टॉक" शब्द का लोप किया जाएगा;
 - (ii) उप-विनियम (3) में, "प्राधिकरण द्वारा" शब्दों के स्थान पर "ऐसी अन्य शर्तें, जो प्राधिकरण" शब्द रखे जाएंगे और "ऐसी अन्य शर्तें विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी" शब्दों के स्थान पर "विनिर्दिष्ट करे" शब्द रखे जाएंगे;
- IV. विनियम 21 के उप-विनियम (3) में, "स्टॉक" शब्द के स्थान पर "बुलियन" शब्द रखा जाएगा;
- V. विनियम 31 में, "विनियम 3, विनियम 5 और विनियम 6" शब्दों और अंकों के स्थान पर "विनियम 4, विनियम 6 और विनियम 7" शब्द और अंक रखे जाएंगे;
- VI. विनियम 41 के उप-विनियम (2) में, "विहित" शब्द के स्थान पर "विनिर्दिष्ट" शब्द रखा जाएगा;
- VII. विनियम 43 के उप-विनियम (1) में, "विनियम 43" शब्द और अंक के स्थान पर "विनियम 44" शब्द और अंक रखे जाएंगे;
- VIII. विनियम 48 के उप-विनियम (1) में, "जो उपबंधित की जाए" शब्दों के स्थान पर "जो विनिर्दिष्ट की जाए" शब्द रखे जाएंगे;
- IX. विनियम 52 में,
 - (i) विनियम (2) में, "विनियम 50" शब्द और अंक के स्थान पर "विनियम 51" शब्द और अंक रखे जाएंगे;
 - (ii) उप-विनियम (5) में, "प्राधिकरण द्वारा जारी" शब्दों का लोप किया जाएगा;
- X. विनियम 53 के उप-विनियम (4) में, "कृत्यों के बारे में" शब्दों के स्थान पर "अपने कृत्यों के बारे में" शब्द रखे जाएंगे:
- XI. विनियम 58 के पश्चात निम्नलिखित शीर्ष और विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"प्रकीर्ण

59. इन विनियमों के, एक ही विषयवस्तु के संबंध में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बाज़ार अवसंरचना संस्था) विनियम 2021 के साथ किसी परस्पर-विरोध या असंगति की दशा में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बाज़ार अवसंरचना संस्था) विनियम, 2021 के उपबंध अभिभावी होंगे।"

इनजेती श्रीनिवास. अध्यक्ष

[विज्ञापन**-**III/4/असा./144/2021-22]

टिप्पण: अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बुलियन एक्सचेंज) विनियम, 2020, भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. आई.एफ.एस.सी.ए./2020-21/जी.एन./रेग्यु.005 द्वारा तारीख 11 दिसम्बर, 2020 को प्रकाशित किए गए थे।

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY NOTIFICATION

Gandhinagar, the 5th July, 2021

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY (BULLION EXCHANGE) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

No. IFSCA/2021-22/GN/REG014.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 read with sub-section (1) of Section 12 and sub-section (1) of Section 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations to amend the International Financial Services Centres Authority (Bullion Exchange) Regulations, 2020, namely: -

1. These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Bullion Exchange) (Amendment) Regulations, 2021.

- 2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 3. In the International Financial Services Centres Authority (Bullion Exchange) Regulations, 2020,
 - I. in regulation 2, in sub-regulation (1), in clause (l), the word "and" shall be inserted after the word "established" and before the word "recognised";
 - II. in regulation 4, in sub-regulation (2), the word "Anybody" shall be substituted with the words "Anybody";
 - III. in regulation 6, in sub-regulation (7), the words and figures "regulation 3" shall be substituted with the words and figures "regulation 4";
 - IV. in regulation 20,
 - (i) in sub-regulation (2), in clause (iii), the word "stock" shall be omitted;
 - (ii) in sub-regulation (3), the word "as" shall be inserted after the word "conditions" and before the word "may";
 - V. in regulation 21,
 - (i) in sub-regulation (2), the word "stock" shall be substituted with the word "bullion";
 - (ii) in sub-regulation (3), the word "stock" shall be substituted with the word "bullion";
 - VI. in regulation 28, in sub-regulation (2), the word "sub-rule" shall be substituted with the word "sub-regulation";
 - VII. in regulation 31, the figures, words and symbols "3, 5 and 6" shall be substituted with the figures, words and symbols "4, 6 and 7";
 - VIII. in regulation 41, in sub-regulation (2), the word "prescribed" shall be substituted with the word "specified";
 - IX. in regulation 43, in sub-regulation (1), the figure "43" shall be substituted with the figure "44";
 - X. in regulation 48, in sub-regulation (1), the word "provided" shall be substituted with the word "specified";
 - XI. in regulation 52,
 - (i) in sub-regulation (2), the figure "50" shall be substituted with the figure "51";
 - (ii) in sub-regulation (5), the words "by the Authority" after the word "registration" shall be omitted;
 - XII. in regulation 53, in sub-regulation (4), the word "the" shall be substituted with the word "its";
 - XIII. after regulation 58, the following heading and regulation shall be inserted, namely:

"Miscellaneous

59. In case of any conflict or inconsistency of the provisions of these regulations with the International Financial Services Centres Authority (Market Infrastructure Institutions) Regulations, 2021 on the same subject matter, the provisions of International Financial Services Centres Authority (Market Infrastructure Institutions) Regulations, 2021 shall prevail."

INJETI SRINIVAS, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./144/2021-22]

Note: The International Financial Services Centres Authority (Bullion Exchange) Regulations, 2020 were published in the Gazette of India Extraordinary vide notification No. IFSCA/2020-21/GN/REG005 on December 11, 2020.